न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. **39/2024**

अपीलार्थीगण –	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
मोतीराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.04.2024 जो प्रकरण सं. 20/2024 में तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदात्ता की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 08.06.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रकरण सं. **20/2024** सरकार बनाम **मोतीराम पुत्र हनुमानराम** में पारित निर्णय दिनांक **30.04.2024** के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का **सारला** द्वारा तहसीलदार सेड़वा के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा **सारला** के खसरा नम्बर **469** भूमि किस्म **गैर मुमकीन गोचर** में से **400 फीट** भूमि पर गैर सायल द्वारा अपीलाधीन सिवाय चक भूमि पर अवैध कब्जा–काश्त कर अतिक्रमण एवं कब्जा बाड़ कर ली है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किए, परंतु गैर सायल द्वारा अपने पक्ष में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तहसीलदार सेड़वा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट का परीक्षण एवं विवेचन उपरांत गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **30.04.2024** के द्वारा **3/–** रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने दिनांक **18.07.2024** को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. हमने बहस सुनी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई विश्लेषण किये कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली के अवलोकन मात्र से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्मण न होने बाबत जवाबदावा व दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा गया और अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों ने अपीलांट के खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिया तथा अपीलांट को चार पांच दिन में जवाब व दस्तावेज पेश करने का कहा गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अपीलांट को अनुपस्थित बताकर आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्मण नहीं है तथा अपीलांट का आबादी भूमि पर कब्जा है तथा अपना मकान बनाया हुआ है तथा जिसके अंदर विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है, इस कारण वर्तमान में अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्मण नहीं है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच करवाए बिना ही हल्का पटवारी द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर पेश किए गए मौखिक तथ्यों के आधारा पर आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एक तरफा रूप से पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे।
5. अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि वर्तमान में अरसा 15 दिन पूर्व हल्का पटवारी द्वारा मौके पर आकर अपीलांट को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जाने लगा तब हल्का पटवारी से पूछताछ करने पर अधीनस्थ न्यायालय से आदेश होने की जानकारी होने पर अपीलांट ने आलोच्य आदेश की प्रति दिनांक 08.07.2024 को प्राप्त की तब ही उक्त स्थिति व निर्णय का निश्चित ज्ञान हुआ है। ज्ञान की तिथि से अपील अंदर म्याद पेश है। किंतु जानकारी के अभाव में हुए सद्भाविक विलंब को क्षमा करने हेतु एवं अपील अंदर म्याद शुमार करने हेतु अलग से आवेदन अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रस्तुत किया जा रहा है।
6. रेस्पोडेंट की ओर राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।
7. हमने अधिवक्ता अपीलांट के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन खसरा नम्बर **469** किस्म **गैर**

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मुमकीन गोचर में से **400 फीट** भूमि पर अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी **सारला** द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलकर्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई विश्लेषण किये कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली के अवलोकन मात्र से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने बाबत जवाबदावा व दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा गया और अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों ने अपीलांट के खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिया तथा अपीलांट को चार पांच दिन में जवाब व दस्तावेज पेश करने का कहा गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अपीलांट को अनुपस्थित बताकर आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है तथा अपीलांट का आबादी भूमि पर कब्जा है तथा अपना मकान बनाया हुआ है तथा जिसके अंदर विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है, इस कारण वर्तमान में अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच करवाए बिना ही हल्का पटवारी द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर पेश किए गए मौखिक तथ्यों के आधारा पर आलोच्य आदेश पारित किया गया। जहां तक राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न हैं तो हल्का पटवारी के संज्ञान में आने पर समस्त प्रकार की राजकीय भूमियों पर होने वाले अतिक्रमण की सूचना/रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करने का पदीय दायित्व हैं, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही में किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती हैं एवं इस संबंध में तहसीलदार सेड़वा की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.05.2026 के अनुसार आदिनांक तक अप्रार्थी का कब्जा उक्त खसरे पर है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने कब्जे के बाबत स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो दण्डादेश पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। जहां तक अपीलांट वादग्रस्त भूमि में लंबे समय से निवासरत होना बताते हैं, तो इसके लिए अपनी पात्रता अनुसार कब्जे का नियमीतीकरण/आवंटन हेतु पृथक से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 08.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर